औनकरी यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

1805

अन्य (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

हरसीमरान सिंह सेठी से पहले, जे.

औनकरी यादव और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2022 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 22233

14 नवंबर, 2022

भारत का संविधान, अनुच्छेद 226,227, व्यवसाय नियम, हरियाणा सरकार, 1977, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 20-स्थानांतरण आदेश को चुनौती देना स्थानांतरण नीति के विपरीत है और स्थानांतरण आदेश के बाद प्रसारित अधिसूचना के आधार पर-साथ ही, इस आधार पर कि स्थानांतरण निर्णय प्रतिवादी विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और सरकार द्वारा लिए जाने की संभावना है-शिक्षा विभाग के याचिकाकर्ता कर्मचारी और टी. जी. टी. (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ता, जो एक राज्य संवर्ग है, (सी. V) शास्त्रीय और स्थानीय भाषा के शिक्षक, जो स्टेशन के संबंध में जिला संवर्ग से संबंधित हैं-विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए लाभ की मांग की गई-आयोजित-स्थानांतरण नीति न्यायसंगत है और केवल एक मार्गदर्शक कानून है और हस्तांतरण नीति के तहत किसी भी लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है-यदि स्थानांतरण नीति सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप है, तो नीति के साथ नियम प्रबल होंगे-एक विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति को लाभ दिया जाना है, लेकिन यह सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के चार कोनों के भीतर होना चाहिए। विशेष शर्त के आधार का लाभ केवल उसी संवर्ग के समान रूप से स्थित व्यक्ति के खिलाफ दिया जा सकता है जिसमें एक कर्मचारी काम कर रहा है और एक अलग संवर्ग में काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दावा नहीं किया जा सकता है-याचिका खारिज कर दी गई माना जाता है कि एक विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति को लाभ दिया जाना है, लेकिन यह सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के चार कोनों के भीतर होना चाहिए। विशेष शर्त के आधार पर लाभ केवल उसी संवर्ग के समान स्थिति वाले व्यक्ति के खिलाफ दिया जा सकता है जिसमें एक कर्मचारी काम कर रहा है। एक अलग संवर्ग के कर्मचारी को दिए जाने वाले लाभ का दावा एक विशेष रूप से सक्षम कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता है जो एक अलग संवर्ग में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता No.17, हालांकि टी. जी. टी. के रूप में काम कर रहा है, उन कर्मचारियों के संबंध में दावा कर रहा है, जो एक अलग संवर्ग यानी शास्त्रीय और स्थानीय शिक्षकों में काम कर रहे हैं और इसलिए, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिकायत का आधार गलत है।

2022(2)

1806

(3) याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों का हवाला देते हुए अपने स्थानांतरण को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसका इस आधार पर हस्तांतरण करते समय पालन किया जाना था कि या तो इसका उल्लंघन किया गया है या नीति के प्रावधानों की व्याख्या, जिस पर स्थानांतरण करने का उत्तरदाताओं का निर्णय आधारित है, एक या दूसरे प्रक्रियात्मक दोष से ग्रस्त है। (4) स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा पहला तर्क यह है कि वर्ष 2016 की स्थानांतरण नीति के अनुसार, जिसे स्थानांतरण को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है, स्थानांतरण एक उम्मीदवार की पात्रता का मूल्यांकन करके किया जाना था, जैसा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा चुने गए पोस्टिंग के विकल्प का मूल्यांकन किया जाना था, जो कि एक कर्मचारी को कुछ पहलुओं के आधार पर मिला होगा, जैसा कि उक्त नीति में परिकल्पित है। उच्च अंकों वाला कर्मचारी कम अंकों वाले अन्य कर्मचारी की तुलना में उक्त कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प का हकदार था और वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्टेशनों का चयन किया है, जो टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक राज्य ऑन्कारी यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य राज्य हैं।

1807

अन्य (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

(6) उक्त तर्क से सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए निपटा जाना है। (7) यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 2012 के नियमों के अनुसार जो शास्त्रीय और स्थानीय शिक्षकों के साथ-साथ टी. जी. टी., शास्त्रीय और स्थानीय शिक्षक के पद की सेवा को नियंत्रित करता है, एक जिला संवर्ग है जिसका अर्थ है कि उन्हें उस जिले के बाहर तैनात नहीं किया जा सकता है जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है। टी. जी. टी. शिक्षक अर्थात वह संवर्ग जिससे याचिकाकर्ता संबंधित हैं, एक राज्य संवर्ग है और याचिकाकर्ताओं को सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की शिकायत, जैसा कि यहाँ पहले दर्ज किया गया है, का मूल्यांकन उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। (8) एक बार जब शास्त्रीय और स्थानीय भाषा के शिक्षकों को जिले के बाहर तैनात नहीं किया जा सकता है, तो नियुक्ति की पहली प्राथमिकता उक्त संवर्ग को दी जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें संवर्ग के भीतर समायोजित करने के लिए कोई पद नहीं होगा, यदि पद अधिक अंक वाले टीजीटी उम्मीदवार को दिए जाते हैं। यदि उक्त प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाता है, तो विसंगति पैदा होगी क्योंकि तब टी. जी. टी. शिक्षक उच्च अंकों के आधार पर एक जिले में एक विशेष केंद्र पर कब्जा कर लेंगे और टी. जी. टी. शिक्षकों द्वारा दी गई नियुक्ति के विकल्प को समायोजित करने के लिए शास्त्रीय और स्थानीय शिक्षकों को संबंधित जिले से बाहर तैनात करना होगा। एक बार, सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, शास्त्रीय और स्थानीय भाषा के शिक्षकों को उस जिले के बाहर तैनात नहीं किया जा सकता है जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है, स्थानांतरण नीति को इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए कि यह सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप न रहे, इसलिए, भले ही शास्त्रीय और स्थानीय भाषा के शिक्षक के कम अंक हों, उन्हें किसी विशेष जिले में नियुक्ति के संबंध में टीजीटी शिक्षकों पर वरीयता दी जानी चाहिए अन्यथा इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें जिले में सी एंड वी शिक्षकों को समायोजित करने के लिए कोई पद नहीं हो सकता है जिसमें वे पहले से ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं कि सभी रिक्त पद सेवा में हैं। वह जिला टी. जी. टी. आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा को आवंटित किया गया है।

2022(2)

1808

(14) विचाराधीन नीति जिसे बदलने की आवश्यकता है या एक प्रथा जिसे व्यवसाय के नियमों के तहत आवश्यकता के अनुसार बदलने की आवश्यकता है, ऐसी नीति या प्रथा होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के भीतर एक अधिकार पैदा करती है, जो उक्त नीति या प्रथा के परिवर्तन पर पूर्वाग्रह का दावा कर रहा है। (15) उक्त उद्देश्य के लिए, पहले यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या स्थानांतरण नीति एक कर्मचारी के साथ ऑनकरी यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य का अधिकार पैदा करती है और

1809

अन्य (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

उक्त पॉलिसी के तहत लाभ का दावा करें या न करें। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि हस्तांतरण नीति केवल एक दिशानिर्देश है और लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देती है, भले ही उक्त नीति का उल्लंघन किया जा रहा हो। कानून के उक्त प्रश्न का उत्तर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।

(16) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के फैसले में

2022 की सिविल अपील No.1243 में एस. के. नौसाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में, 10.03.2022 पर निर्णय लिया गया है अभिनिर्धारित किया कि अंतरण नीति न्यायसंगत नहीं है और किसी कर्मचारी को लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उक्त अंतरण नीति का उल्लंघन किया गया हो क्योंकि उक्त नीति केवल एक दिशानिर्देश है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः -

26. तीसरा, ऐसी नीतियाँ जो यह निर्धारित करती हैं कि पति-पत्नी की नियुक्ति अधिमानतः और व्यावहारिक सीमा तक एक ही स्थान पर होनी चाहिए, प्रशासन की पी. ए. आर. टी. डी. आवश्यकता के अधीन हैं। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने बैंक ऑफ इंडिया बनाम जगजीत सिंह मेहता, (1992) 1 एस. सी. सी. 307 मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः “5. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सामान्य रूप से और जहां तक संभव हो पति और पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए, भले ही उनके नियोक्ता अलग-अलग हों। इस तरह के पाठ्यक्रम की वांछनीयता स्पष्ट है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नियुक्ति का स्थान हमेशा उनकी पसंद का होना चाहिए, भले ही प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते समय उनकी पसंद को ध्यान में रखा जा सके।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में

2022(2)

1810

27 उपरोक्त सिद्धांत को भारत संघ बनाम एस. एल. अब्बास 25 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, जहां न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना हैः “7. किसे कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यह उचित प्राधिकारी को तय करना है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावना से दूषित नहीं किया जाता है या किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। स्थानांतरण का आदेश देते समय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण को इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने स्थानांतरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन देता है, तो उपयुक्त अधिकारी यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

1811

अन्य (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

((ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम; और (iii) संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी किए गए कार्यकारी निर्देश और राज्यों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 162। पाँचवाँ, जहाँ अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए कार्यकारी निर्देशों और नियमों के बीच टकराव है, वहाँ नियमों को प्रबल होना चाहिए। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में, कानून प्रबल होता है। जहां नियम कंकाल हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में अंतर है, कार्यकारी निर्देश नियमों में जो कहा गया है, उसके पूरक हो सकते हैं।

(17) यहां पहले उद्धृत कानून के तय किए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि हस्तांतरण नीति न्यायसंगत नहीं है और केवल एक समान कानून है और हस्तांतरण नीति के तहत किसी भी लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और यदि हस्तांतरण नीति सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप है, तो नियम नीति के साथ प्रबल होंगे, इसलिए, वर्तमान याचिका में उठाए गए दावे को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शामिल किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(18) इतना ही नहीं, एल. पी. ए. में इस न्यायालय की एक खंड पीठ

2020 का No.247 जिसका शीर्षक निशा बनाम हरियाणा राज्य था, तय किया गया 24.02.2020 अभिनिर्धारित किया कि अंतरण नीति न्यायसंगत नहीं है और अंतरण नीति के तहत लाभ का दावा करने के लिए किसी कर्मचारी के साथ कोई अधिकार नहीं बनाया गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः -

“हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को व्यापक रूप से सुना है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्थानांतरण नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति और आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के अनुसार किया गया है।

2022(2)

1812

कि याचिकाकर्ता, यदि व्यथित है, तो अभ्यावेदन दायर करके अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने याचिका पर निर्णय लेते समय स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों द्वारा उनके इस प्रभाव पर लौटने में लिए गए रुख को ध्यान में रखा है कि स्थानांतरण नीति में उल्लिखित नियमित कार्यकाल के बावजूद किसी भी समय लोक हित में स्थानांतरण का सहारा लिया जा सकता है और याचिकाकर्ता की तरह एक व्यक्ति, जो ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान की अनुपलब्धता के कारण अस्थायी मैनुअल पोस्टिंग रखता है, उसे स्थानांतरण अभियान के उद्देश्य से एक मानित रिक्ति पर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, और तदनुसार, याचिकाकर्ता को अभियान में भाग लेने की आवश्यकता थी, और उसका स्थानांतरण किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि स्थानांतरण अभियान में जबरन भागीदारी के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क गलत और गलत है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने, उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांकित 27.8.2019 पत्र को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार उपचार करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।

XXXXXXXXXXXXXXXX यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रीमती शिल्पी बोस और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, ए. आई. आर. 1991 सर्वोच्च न्यायालय 532; भारत संघ और अन्य बनाम एस. एल. अब्बास, ए. आई. आर. 1993 सर्वोच्च न्यायालय 2444, और राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड। बनाम श्री भगवान और एक अन्य, ए. आई. आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट 3309, स्थानांतरण नीति लागू करने योग्य नहीं है और इसके उल्लंघन में हस्तांतरण के आदेश पर उस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता को दिनांकित 27.8.2019 पत्र के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी गई है। ” उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हस्तांतरण नीति न्यायसंगत नहीं है और इसका पालन नहीं होने पर भी कोई अधिकार अर्जित नहीं होता है, तो उक्त नीति में परिवर्तन भी याचिकाकर्ता को किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगा। ऐसा होने पर, हस्तांतरण नीति, जो गैर-न्यायसंगत है, भले ही विभाग द्वारा अपने स्तर पर संशोधित या परिवर्तित की गई हो, याचिकाकर्ताओं को उक्त कार्रवाई को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं देगी। इसलिए, दिनांकित 29.08.2022 (अनुलग्नक पी-4) के नोटिस के लिए याचिकाकर्ताओं की चुनौती ऑनकरी यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के तय किए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रखी जा सकती है।

1813

अन्य (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

यहाँ पहले देखे गए कानून और तथ्य।

(23) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी है जिसकी स्थायी प्रकृति की 55 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता है। (24) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि संबंधित कर्मचारी द्वारा दायर अभ्यावेदन के संबंध में, विभाग द्वारा एक विस्तृत अलग आदेश पारित किया गया है और यह केवल तभी है जब किसी कर्मचारी द्वारा एम. आई. एस. पोर्टल पर आपत्ति उठाई गई थी, तो उसे स्वीकार नहीं करने का सटीक कारण देकर इसका जवाब दिया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1814

(30) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा वर्तमान याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। गौरव सैनी